भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 174

दिनांक 09.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन हेतु बजट आबंटन

***174 श्री नीरज शेखरः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रामीण परिवारों को नल द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल जीवन मिशन के लिए वर्ष 2026-27 के बजट आबंटन का ब्यौरा क्या है; और
(ख) वर्ष 2026-27 के दौरान जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आरंभ की जाने वाली प्रमुख परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी आर पाटिल)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 09.03.2026 को उत्तर हेतु नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 174 के उत्तर के में सदर्भित विवरण

(क) और (ख): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाला सुनिश्चित पेयजल प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है।

जल जीवन मिशन के शुभारंभ से ग्रामीण परिवारों में नल जल तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 03.03.2026 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत 12.58 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए। इस प्रकार, 03.03.2026 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.82 करोड़ (81.71%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है और शेष परिवारों के लिए कार्य संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कार्यपरिपूर्णता योजना के अनुसार पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं।

अब तक, 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमण दीव (डीएनएच एंड डीडी), और पुदुचेरी ने ग्रामीण परिवारों का 100% कवरेज हासिल कर लिया है और 'हर घर जल (एचजीजे)' का दर्जा प्राप्त कर लिया है।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान जल जीवन मिशन को संवर्धित कुल परिव्यय के साथ 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए 2026-27 के लिए बजट अनुमान के रूप में 67,670 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, जेजेएम के अंतर्गत, पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के प्रयासों में मदद करती है। इसके अलावा, चूंकि परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों में विभिन्न स्तरों पर एक साथ कई परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं, इसलिए, ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए पृथक से परियोजनाओं/स्कीमों का परियोजना-वार ब्यौरा राज्य सरकार के स्तर पर ही रखा जाता है।
